न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 107 / 2012

1 सांवत दत्तक पुत्र गोदु जाति यादव निवासी भादवाडी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

अपीलांट्स

बनाम

1 जगदीश पुत्र लादु
2 बद्री दत्तक पुत्र चन्द्रा
3 सुरजी देवी मृत
3 / 1 लीलाधर
3 / 2 कबूलसिंह
3 / 3 धर्मपाल समस्त पुत्रगण गणपतराम निवासी वार्ड नम्बर 12 डलोता जिला झुन्झुनूं राज.।
4 बनवारी
5 बीरबल
6 मोहन
7 लक्ष्मण
समस्त पुत्रगण पालाराम जाति यादव निवासी भादवाड़ी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
8 नाथी देवी पत्नी पालाराम जाति यादव निवासी भादवाड़ी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
9 पटवारी हल्का गढी खानपुर जुगलपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
10 भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 10.07.2012
उनवानी प्रकरण जगदीश बनाम सांवता
मु.नं. 213 / 2011 विरूद्ध ए.सी.एम खण्डेला, सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री विनोद सरोज, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री हरफुल सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 9/12/25

यह अपील विचारण सहायक कलेक्टर खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 213/2011 में पारित निर्णय दिनांक 10.07.2012 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की ओर से प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 694 से 699, 708 से 709 वाके ग्राम गढ़ी खानपुर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से उभयपक्षों को तादौराने वाद फैसल तक मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबंद कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित कृषि भूमि पैरा संख्या 1 में वर्णित लादू, नन्दा पुत्रगण मगना व गोदू के नाम रही। उक्त तीनों भाईयों ने अपने जीवन काल में ही उक्त कृषि भूमि का बंटवारा 1/3—1/3 हिस्सा किया जाकर काबिज काश्त चले आ रहे है। इनकी मृत्यु के पश्चात इसी हिस्से के अनुसार इनके वारिसान उक्त भूमि पर काबिज चले आ रहे है। गोदू के पुत्र नही होने एवं केवल मात्र पुत्री सूरजी देवी होने के कारण सांवत को गोद ले लिया गया तथा नन्दा के कोई सन्तान नहीं होने के कारण प्रार्थी संख्या 2 बद्री को गोद ले लिया। इस प्रकार गोदू के 1/3 हिस्से पर सुरजी, सांवत काबिज काश्त है तथा लादू के 1/3 हिस्से पर सांवत व बद्री के गोद चले जाने के कारण शेष वारिस पाला व जगदीश के वारिसान काबिज है, नन्दा के 1/3 हिस्से पर बद्री गोद चले जाने के कारण बद्री काबिज है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रार्थीगण द्वारा गलत रूप से नारायण के लादू को गोद जाना बनाया जाकर 1/4 हिस्से के अनुसार कतई गलत तथ्य अंकित किये है। नारायण नाऔलाद फौत हो गया थात था नारायण द्वारा कभी भी किसी को गोद नहीं लिया गया। नारायण द्वारा लादू को गोद लिये जाने संबंधित कोई दस्तावेज रिकार्ड पर नहीं होने के बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर गौर नही कर भारी भुल कारित की है। इस कारण भी उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा रिकार्ड पर किसी भी प्रकार 1/4, 1/4 हिस्सा होने संबंधी दस्तावेज नही होने एवं वादपत्र चलने योग्य नहीं होने के बावजूद केवल मात्र कयासों के आधार पर तथा पारिवारिक सदस्य होने के आधार पर अपीलकर्ता को पाबन्द कर दिया गया। इस कारण अपीलकर्ता के हक हकुको पर विपरित प्रभाव पड़ने व होने वाली परेशानी पर गौर नही कर भारी भुल कारित की है। इस कारण भी उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा अपने वाद पत्र में गौदू को कोई सन्तान नहीं होने के बारे में कथन किया है तथा आवेदन में सजरा खानदान में गोदू के पुत्री के रूप में सुरजी देवी को अंकित किया है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा गलत रूप से तथ्य अंकित किये जाने के बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर गौर नही कर भारी भुल कारित की है। इस कारण भी उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को पाबन्द किये जाने के उक्त आदेश में कोई कारण अंकित नहीं किया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पाबन्द बिना कोई विधिक कारण के कर दिया गया। अपीलान्ट अपने 1/3 हिस्से पर काबिज होकर उसे सभी प्रकार के उपयोग उपभोग हेतु स्वतंत्र होने के बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा बिना कोई कारण बताये पाबन्द कर दिया गया। इस कारण उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की ओर से प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 694 से 699, 708 से 709 वाके ग्राम गढ़ी खानपुर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से उभयपक्षों को तादौराने वाद फैसल तक मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबंद कर दिया। विवादग्रस्त आराजियात पर दोनों

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकार्ड में अंकित हिस्से को लेकर विवाद है। ग्राम भादवाडी तहसील श्रीमाधोपुर की जमीनों का निपटारा पूर्व में होना उभयपक्ष द्वारा जाहिर किया गया है। विवादग्रस्त उक्त आराजियात के हक हकूक का निर्णय मूलवाद पक्षों में निर्णित होना शेष है। प्रा. पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन के बिन्दु पर ही निर्णय किया जाना हैं प्रार्थीगण व अप्रार्थी नम्बर 1 के मध्य विवादग्रस्त आराजियात के मूलवाद पत्रों में निर्णय होने तक पक्षकारों में वाद बाहुल्यता नहीं हो एवं विवादित भूमि खुर्द–बुर्द नहीं हो, इसे दृष्टिगत रखते हुए विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की ओर से प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 694 से 699, 708 से 709 वाके ग्राम गढ़ी खानपुर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से उभयपक्षों को तादौराने वाद फैसल तक मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबंद कर दिया।

प्रस्तुत प्रकरण में विवादग्रस्त आराजियात पर दोनों पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकार्ड में अंकित हिस्से को लेकर विवाद है। ग्राम भादवाडी तहसील श्रीमाधोपुर की जमीनों का निपटारा पूर्व में होना उभयपक्ष द्वारा जाहिर किया गया है। विवादग्रस्त उक्त आराजियात के हक हकूक का निर्णय मूलवाद पक्षों में निर्णित होना शेष है।

ऐसी स्थिति में इस स्तर पर अस्थाई निषेधाज्ञा में प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन के बिन्दु पर ही निर्णय किया जाना हैं प्रार्थीगण व अप्रार्थी नम्बर 1 के मध्य विवादग्रस्त आराजियात के मूलवाद पत्रों में निर्णय होने तक पक्षकारों में वाद बाहुल्यता नहीं हो

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

एवं विवादित भूमि खुर्द–बुर्द नहीं हो, इसे दृष्टिगत रखते हुए विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 9/12/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर